फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/246

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेसपोडेन्ट**

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द
निवासी जैन धर्मशाला के पास
सिरोही रोड तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 40 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेसपोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 31.07.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता श्री कपूरचन्द द्वारा निगरानी संख्या 07/2008 में पट्टा संख्या 31 दिनांक 26.08.1985 एवं पट्टा संख्या 56 दिनांक 03.11.1981 की भूमि ठिकाणा कालन्द्री की होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य एवं रेकर्ड की प्रमाणित प्रति एवं इसी निगरानी प्रकरण में श्री धुकसिंह पुत्र श्री भोमसिंह राजपूत निवासी कालन्द्री को पक्षकार बनाया गया था। उक्त पक्षकार के सम्बन्ध में जारी करवाया गया नोटिस की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 31.07.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता श्री कपूरचन्द द्वारा निगरानी संख्या 07/2008 में पट्टा संख्या 31 दिनांक 26.08.1985 एवं पट्टा संख्या 56 दिनांक 03.11.1981 की भूमि ठिकाणा कालन्द्री की होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य एवं रेकर्ड की प्रमाणित प्रति एवं इसी निगरानी प्रकरण में श्री धुकसिंह पुत्र श्री भोमसिंह राजपूत निवासी कालन्द्री को पक्षकार बनाया गया था। उक्त पक्षकार के सम्बन्ध में जारी करवाया गया नोटिस की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2025/156 दिनांक 11.08.2025 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	